

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ग्रममध्ये असल्याचा असल्याचा नोंदवणी  
विश्वविद्यालय के नाम सुनी ही फिरा आवे त  
ते निहिं असल विविधाती के नाम सुनी।  
उपर्युक्त विषय पर यांची घोषी दृष्टि सुनी तर  
व्यक्तता दृष्टि सुनी तर व्यक्त तर्फे नोंदवणी करावा  
नाही नोंदवणी आवे नोंदवणी करावा।



नाम : जीवाजी  
फळापात्र : 0091-0751-2442831  
(फळापात्र)  
2442462 (फळापात्र)  
फळापात्र : 0091-0751-2541758  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसाधिकार,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : दाख/सम्बद्धता/2012/ 5441

विनांक : 29/11/2

### // संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की  
बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पश्चात क्रांति (16) के विणायकानन्द द्वारा वेती कोर्ट नियोजित  
व्यालियर के सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संवादित चौंसीए, चौंबीए, चौंकोंब, लोब/कम्पन्यूटर,  
पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान तरी जाती हैं।

#### शर्ते एवं प्रतिबंध :-

1. नामांकित द्वारा पर्यालोग 28 के अन्तर्गत प्रयोगी एवं अर्थात् व्यौदा की  
नियुक्तिर्थी आवश्यक रूप से कर ली जावे।
2. अलाविद्यालय द्वारा एक लाख रु. की पुस्तकें क्रय की जावे, समस्त विषयों के लिए।
3. 10 पी. 04 काल्पनिक क्रय किये जावे।
4. प्रतिविषयक 27 एवं 28 का यात्रव निम्न जाते तथा विश्वविद्यालय द्वारा दरम्यान-प्रद  
तारी दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से किया जावे।

अन्वेषानुसार  
3 मई 2013  
कुलसाधिकार

#### प्रति,

1. प्राचार्य, द्वीप वेती कोर्टेज नियोजिती, ग्वालियर
2. अन्वेषा, भव्यप्रदेश शासन, उच्च नियमा विभाग, सत्पुढा भवन, शोपाता।
3. संवाद अतिवित उचितक, गवाहांश शासन, तत्व नियमा विभाग, व्यालियर-व्यवत सभाता, जोती महल  
परिसर, व्यालियर।
4. अप-कुलसाधिकार (पर्याप्तांगोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधिकार, पर्याप्त व्या द्रव्यांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुधाराये एवं आवश्यक  
कार्यकारी नेतृ।

संहायक कुलसाधिकार (दाखलता)